

हापुड पिलखुवा विकास प्राधिकरण की पहली बैठक दिनांक 4-3-97 का कार्यवृत्त

दिनांक 4-3-97 को प्रमुख सचिव, आवास, उत्तर प्रदेश शासन एवं अध्यक्ष, हापुड पिलखुवा विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता बोर्ड बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित अधिकारियों ने भाग लिया :

- श्री अखण्ड प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव, आवास, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
- श्रीमती रीता मैनन, उपाध्यक्ष, हापुड पिलखुवा विकास प्राधिकरण ।
- श्री शारदा प्रसाद, जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद ।
- श्री एम पी अनेजा, वरिष्ठ नियोजक, लखनऊ ।

श्रीमती सरोज सिंह, अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद्, हापुड
 श्री इरफान लाल शीखा, स.ध.नि. आ.नि., 18 वां मंडल, उपखण्ड विभाग, गाजियाबाद
 य उपस्थिति

- 1- श्री वेद मित्तल, मुख्य वास्तुविद् एवं नगर नियोजक, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ।
- 2- श्री सी बी सिंह, वित्त नियंत्रक एवं मुख्य लेखाधिकारी, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ।
- 3- श्री एस पी एस राघव, अधीक्षण अभियन्ता, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ।
- 4- श्री संजीव सिन्हा, सँयुक्त सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ।
- 5- श्री अनिल भटनागर, इकोनोमिक प्लानर, एन सी आर सैल, गाजियाबाद ।

क्र०सं०	विषय	निर्णय
1-	हापुड पिलखुवा विकास प्राधिकरण के लिए बनाए गए मोनोग्राम की स्वीकृति करना ।	मोनोग्राम अनुमोदित किया गया । कॉमन् सील भी तदानुसार अनुमोदित की गयी ।
2-	हापुड पिलखुवा विकास प्राधिकरण की बैठक के लिए कोरम निर्धारित करना ।	अनुमोदित ।
3-	हापुड पिलखुवा विकास प्राधिकरण के लिए किराए पर लिए गए कार्यालय के सम्बन्ध में बोर्ड को अवगत कराना ।	अवलोकित किया गया ।
4-	हापुड के लिए बनायी गयी झाप्ट महायोजना 2001 को अंगीकृत करना एवं उस पर प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई हेतु उप समिति का गठन करार जाने के सम्बन्ध में ।	वर्तमान महायोजना हापुड 1979 - 2001 को जो वर्ष 1983 में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अनुमोदित हुई एवं झाप्ट महायोजना 2001 को हापुड पिलखुवा विकास क्षेत्र हेतु अंगीकृत किया गया । यह भी निर्णय लिया गया कि इस योजना को 2011 के लिए भी पुनरीक्षित कर लिया जाए । झाप्ट महायोजना पर प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई हेतु उप समिति का गठन किया गया, जो उपाध्यक्ष, हापुड पिलखुवा विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक या उनके नामित प्रतिनिधि, मुख्य वास्तुविद् एवं नगर नियोजक, एन सी आर, अधीक्षण अभियन्ता, हापुड पिलखुवा एवं इकोनोमिक प्लानर, एन सी आर सैल, गाजियाबाद सदस्य होंगे । उप समिति के सम्बन्ध में शासन को पत्र प्रेषित कर दिया जाए ।

- 5- हापुड पिलखुवा विकास प्राधिकरण हेतु भू अर्जन की जानी वाली भूमि के सम्बन्ध में प्रगति से बोर्ड को अवगत कराना ।
- 6- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्लानिंग बोर्ड के अन्तर्गत हापुड महायोजना प्रारूप 2001 के अनुसार विभिन्न प्रस्तावित योजनाओं की प्रगति से बोर्ड को अवगत कराने के सम्बन्ध में
- 7- हापुड पिलखुवा विकास प्राधिकरण के कार्यों को सुचारु रूप से चलाने हेतु विभिन्न पदों के सृजन के सम्बन्ध में ।
- 8- हापुड पिलखुवा विकास प्राधिकरण में शमन उप विधि 1997 व भवन उप विधि 1993 व मानक नियमावली 1986 अंगीकृत किए जाने के सम्बन्ध में ।
- योजनाओं की भू अर्जन प्रगति से बोर्ड अवगत हुआ आनन्द विहार आवासीय योजना के सम्बन्ध में निर्णय हुआ कि भू अधिग्रहण आवश्यकतानुसार किया जाए पिनाहल धारा 4 व 6 की कार्यवाही की जाए जिससे कि भूअर्जन की धनराशि जमा न करनी पड़े । माँग सर्वेक्षण के उपरान्त आवश्यकतानुसार ररिया के लिए धारा 4 व 17 की कार्यवाही की जाए । अन्य योजनाओं के लिए जिलाधिकारी, गाजियाबाद को भूअर्जन हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध करा दी जाए ।
- योजनाओं की प्रगति से बोर्ड अवगत हुआ । प्रगति आख्या प्रत्येक बोर्ड बैठक में रखी जाए । राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर पत्ताई ओवर के स्थान पर भूमिगत पुल बनाने पर विचार किया जाए । हापुड बाई पास जो दिल्ली मोदीनगर मेरठ रोड को मिलाता है, का प्रस्ताव तैयार किया जाए तथा बाई पास के किनारे स्थित भूमि पर प्राधिकरण की अन्य योजनाएँ भी प्रस्तावित की जाए ।
- पद सृजन का प्रस्ताव इस संशोधन के साथ कि नियोजन अनुभाग में एक सहायक वास्तुविद्/सहायक नगर नियोजक का पद बढ़ा लिया जाए, अनुमोदित किया गया । अकेन्द्रीयत सेवा के अन्तर्गत वर्तमान में प्राधिकरणों के कार्यरत स्टाफ से ही उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में समिति बनाकर निम्न पद भर दिए जाएँ । केन्द्रीयत सेवा के पद शासन द्वारा आवश्यकतानुसार भरे जायेंगे:
- 1- टाईपिस्ट = 4
 - 2- लेखा लिपिक = 2
 - 3- ड्राईवर = 3
 - 4- चपरासी = 4
 - 5- स्वीपर = 1
- अंगीकृत किया गया ।

- 9- हापुड पिलखुवा विकास प्राधिकरण क्षेत्र में भवनों/पैब्टरिये/दुकानों के मानचित्र की अनुज्ञा के लिए आवेदन पत्र प् और अपील पर फिस निर्धारित करने के सम्बन्ध में । अनुमोदित ।
- 10- हापुड पिलखुवा विकास प्राधिकरण में निर्माण एवं विकास कार्यों के लिए ठेकेदारों के पंजीकरण हेतु बनार गए नियमावली का अनुमोदन । अनुमोदित ।
- 11- हापुड पिलखुवा विकास प्राधिकरण में भूखण्डों एवं भवनों के पंजीकरण/आवेटन नियमावली स्वीकृत करने हेतु । अनुमोदित ।

अनुमोदित

॥ अखाड प्रताप सिंह ॥,

प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन

एवं अध्यक्ष, हापुड पिलखुवा विकास प्राधिकरण, हापुड